

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प - भोपाल

क्रमांक 3614-10012/15 प्रकरण क्रमांक

श्री कोटी देव रेड
28121 1609 281015
को 5821
Q
श्री

श्री राधावल्लभ पंजीयत न्यास
द्वारा:-सभी न्यासियों द्वारा अधिकृत
कोषाध्यक्ष कुं0शान्ति सक्सेना पुत्री स्व0
नर्बदाचरणाला-ल सक्सेना आयु-व्यस्क
निवासी-बगलवाड़ा रोड-बरेली तह0बरेली
जिला- रायसेन ।

--- निगरानीकर्ता/
अवेदिका

--- विस्त ---

Nudeg Rev
D
20/11/2015

- 1- श्रीमति अर्चनाबाई पत्नि रामसिंह राजपूत
आयु-व्यस्क निवासी 125, वार्ड क्रं0 4 शक्ति-
नगर बरेली जि0रायसेन ।
- 2- अतुल पारिख आ0 स्व. नरेन्द्र पारिख आयु-
लगभग 54 वर्ष निवासी-89/1 रामानंद कॉलोनी
लालघांटी - भोपाल ।
- 3- श्रीमति मोहनीदेवी आयु लगभग 76 वर्ष बेवा
स्व0 नरेन्द्र पारिख निवासी-89/2 रामानंद-
कॉलोनी, लालघांटी - भोपाल ।
- 4- श्रीमति शशि तिवारी आयु लगभग 66 साल
पत्नि स्व0 हरिनारायण तिवारी निवासी-
14, कृष्णा सेजवार - भोपाल ।
- 5- श्रीमति गायत्रीदेवी आयु लगभग 63 साल
पत्नि श्री आर0जी0 उपाध्याय निवासी-
13, दुर्गेशा विहार, नरेला-शंकरी, मिनाल
जे0के0 रोड - भोपाल ।
- 6- श्रीमति शारदा शर्मा आयु-लगभग 61साल पत्नि
श्री विजेन्द्र शर्मा निवासी-4/57, ग्रीन सिटी
त्रिलंगा- भोपाल ।

Q

- 7- श्रीमति पुष्पा शर्मा आयु- लगभग 58 वर्ष
पति श्री पीएसएस शर्मा निवासी-26, अन्त्योदय
नगर, बैंक कॉलोनी - भोपाल ।
- 8- श्रीमति छाया त्रिपाठी आयु- लगभग 48 वर्ष
पति श्री यदुनंदन त्रिपाठी निवासी- 97,
चन्द्रिका हाउसिंग सोसायटी बावड़िया क्लॉ
भोपाल ।
- 9- श्रीमति माया जोशी आयु लगभग 50 वर्ष पति
श्री पुष्पक जोशी निवासी-22, अनुराग नगर
ए0बी0 रोड - इन्दौर ।
- 10- श्रीमति नीलमा पालीवाल आयु- लगभग 46 वर्ष
पति विनीत पालीवाल निवासी- 24 रामानंद
कॉलोनी, लालबांटी- भोपाल।
- 11- मनीष पारिख आयु लगभग 43 साल आत्मज स्व0
नरेन्द्र पारिख, निवासी-छोटा बाजार बरेली
तहसील- बरेली जिला-रायसेन ।

----- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 रू रट0 संहिता - 1959.

महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदिका द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बरेली
के प्रकरण क्रमांक 13/अपील/अ-06/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 8/9/2015
से दृष्टित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न-
लिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत है :—



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक स्थान तथा दिनांक	अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ कार्यवाही तथा आदेश	जिला २१५० पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-11-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-9-15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का विवादित मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्राप्त हो चुका है, अतः तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8-7-2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, और दिनांक 22-01-05 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील निरस्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में दिनांक 8-7-2004 के पूर्व की स्थिति कायम करने का कोई औचित्य नहीं है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>